राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

Regd. No. RJ. 2777/93
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

सत्यमेव जयते

चैत्र 13, सोमवार, शाके 1917– अप्रेल 3, 1995
Chaitra 13, *Monday*, *Saka* 1917—*April* 3, 1995

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 3, 1995

संख्या प. 2 (26) विधायी/2/90:—राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 22 मार्च, 1995 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1990 (1995 का अधिनियम संख्या 4)

[राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 22 मार्च, 1995 को प्राप्त हुई]

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1990 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1982 के राजस्थान अधिनियम 25 की धारा 54-क का प्रतिस्थापन:—जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) की धारा 54-क के स्थान पर, 1 अगस्त, 1987 से, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:–

"54-क. भूमि के अर्जन से संबंधित, लंबित मामलों के लिए अन्तःकालीन उपबन्ध.–(1) धारा 45 की उप-धारा (1) में अन्यथा अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां 24 सितम्बर, 1984 और 31 जुलाई, 1987 के बीच में लम्बित, भूमि के अर्जन से सम्बन्धित किसी भी मामले में, इस अधिनियम के, जैसा कि यह 1 अगस्त, 1987 के पूर्व था, उपबंधों के अधीन और अनुसार कोई कार्यवाई,

बात या आदेश किया गया हो वहां ऐसी कार्रवाई, बात या आदेश को इस आधार पर पुनः नहीं खोला जायेगा, न पुनर्विलोकित किया जायेगा और न वह आक्षेपित किये जाने के दायित्वाधीन होगा कि ऐसी कार्रवाई, बात या आदेश उससे भिन्न था जिसका उपबन्ध भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम 1) (जिसे इस धारा में आगे भूमि अर्जन अधिनियम कहा गया है) में है, तथापि ऐसे मामले में, 1 अगस्त, 1987 को या उसके पश्चात् चलायी गई या की गयी कोई भी आगे की कार्यवाही, कार्रवाई या आदेश इस धारा के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन और अनुसार किया जायेगा ।

(2) मुआवजे या ब्याज की रकम अथवा वह रकम, जो किसी अन्य कारण से संदेय है, 1 अगस्त, 1987 को लम्बित किसी मामले में, भूमि अर्जन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और अनुसार संदेय होगी और 1 अगस्त, 1987 के पूर्व संदत्त धन उक्त रकम में से काटा जायेगा या उसके प्रति समायोजित किया जायेगा ।

(3) जहां 1 अगस्त, 1987 को लम्बित किसी मामले में, धारा 45 की उप-धारा (2) के अधीन कोई नोटिस जारी किया गया हो या उसकी उप-धारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना प्रकाशित की गयी हो, वहां ऐसा नोटिस या अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन या, यथास्थिति, धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन प्रकाशित की गई अधिसूचना या की गई घोषणा समझी जायेगी और ऐसे किसी मामले में घोषणा या अधिनिर्णय 1 अगस्त, 1987 से एक वर्ष या, यथास्थिति, दो वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर किया जायेगा ।

(4) जहां कोई भी भूमि, 1 अगस्त, 1987 के पूर्व राज्य सरकार में निहित हो गयी है या उसका कब्जा इस अधिनियम के, जैसा कि यह 1 अगस्त 1987 के पूर्व था, उपबंधों के अनुसार ले लिया गया है, वहां भूमि का ऐसा निहित होना या कब्जा लिया जाना इस आधार पर आक्षेपित किये जाने के दायित्वधीन नहीं होगा कि मुआवजे की रकम भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के अनुसार निविदत्त और संदत्त नहीं की गयी थी तथापि, ऐसी रकम, 1 अगस्त, 19 से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर निविदत्त और संदत्त की जायेगी ।

(5) 1 अगस्त, 1987 को लम्बित किसी मामले में अधिनिर्णीत किये जाने वाले मुआवजे की रकम अवधारित करने में, धारा 45 की उप-धारा (2), जैसी कि यह 1 अगस्त, 1987 के पूर्व थी, के अधीन राज-पत्र मे जिस तारीख को नोटिस प्रकाशित किया गया था उसको रहे भूमि के बाजार मूल्य को विचार में लिया जायेगा ।

(6) धारा 48की उप-धारा (6) के अधीन अधिकरण को की गई किसी ऐसी अपील या धारा 49 की उप-धारा (2) के अधीन अधिकरण को निर्देशित किये गये किसी ऐसे विवाद या धारा 50 की उप-धारा (2) के अधीन जिला न्यायाधीश के न्यायालय में किये गये रकम के किसी ऐसे निक्षेप पर, जो 1 अगस्त, 1987 को विनिश्चय या निपटाने के लिये लम्बित है, भूमि अर्जन अधिनियम के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जायेगी।

(7) जहां 1 अगस्त, 1987 को लम्बित किसी मामले में इस अधिनियम के, जैसा कि यह 1 अगस्त, 1987 के पूर्व था, उपबन्धों के अधीन संदेय मुआवजे की रकम भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन संदेय रकम से अधिक है, वहां भूमि का स्वामी और उसमें हित रखने वाले व्यक्ति उस अधिक रकम का दावा करने के हकदार होंगे।"।

3. विधिमान्यकरण.—किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री, या आदेश या निष्कर्ष में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम 25) में अन्तर्विष्ट भूमि के अर्जन से संबंधित उपबंधों के अधीन और अनुसरण में की गयी कोई भी कार्रवाई, बात या आदेश इस प्रकार विधिमान्य और प्रभावी समझा जायेगा मानो ऐसी कार्रवाई, बात या आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के अधीन किया गया हो।

जे. पी. बंसल,
शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(Group-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 3, 1995

No. F. 2(26) *Vidhi*/2/90.—In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Jaipur Vikas Pradhikaran (Sanshodhan Aur Vidhimanyakaran) Adhiniyam, 1995 (1995 ka Adhiniyam Sankhya -4):—

(Authorised English Translation)

THE JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1995

(*Act No.* 4 *of* 1995)

[Received the assent of the President on the 22nd day of March, 1995]

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Forty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title and commencement.*—(1) This Act may be called the Jaipur Development Authority (Amendment and Validation) Act, 1990.

(2) It shall come into force at once.

2. *Substitution of section 54-A in Rajasthan Act 25 of 1982.*— Section 54-A of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), shall be deemed to have been substituted on 1st day of August, 1987 by the following, namely :—

"54-A. *Transitory provisions for pending matters relating to acquisition of land.*—(1) Notwithstanding anything otherwise contained in sub section (1) of section 45, where, in any matter relating to the acquisition of land pending between 24th day of September, 1984 and 31st day of July, 1987, an action, thing or order has been taken, done or made under and in accordance with the provisions of this Act, as it stood before the first day of August, 1987, such action , thing or order shall not be re-opened or reviewed or be liable to be challenged on the ground that such action, thing or order was at variance with that provided for in the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894) (hereinafter in this section refered to as the Land Acquisition Act) subject, however, that any further proceeding, action or order in such matter conducted, taken or made on or after the first day of August, 1987, shall , subject to the other provisions of this section, be made under and in accordance with the Land Acquisition Act.

(2) The amount of compensation or interest or that payable for another reason, shall in a matter pending on the first day of August, 1987, be payable under and in accordance with the provisions of the Land Acquisition Act and the money paid prior to the first day of August, 1987, shall be deducted from or adjusted against the said amount.

(3) Where in a matter pending on the first day of August, 1987, a notice under sub-section (2) of section 45 or a notification under sub-section (1) thereof has been issued or, as the case may be, published such notice or notification shall be deemed to be the notification or declaration published or made under sub-section (1) of section 4 or, as the case may be, under sub-section (1) of section 6 of the Land Acquisition Act and the declaration

or award in such matter shall be made within a period of one year or as the case may be, two years from the first day of August, 1987.

(4) Where any land has, prior to the first day of August, 1987, vested in the State Government or its possession has been taken in accordance with the provisions of this Act, as it stood before the first day of August, 1987, such vesting or possession of land shall not be liable to be challenged on the ground that no amount of compensation was tendered and paid in accordance with sub-section (3-A) of section 17 of the Land Acquisition Act, subject, however, that such amount shall be tendered and paid within a period of six months from the first day of August, 1987.

(5) In determining the amount of compensation to be awarded in a matter pending on the first day of August, 1987, the market value of the land at the date on which the notice was published in the Official Gazette under sub-section (2) of section 45, as it stood before first day of August, 1987, shall be taken into consideration.

(6) An appeal preferred to the Tribunal under sub-section (6) of section 48 or a dispute referred to the Tribunal under sub-section (2) of section 49 or a deposit of amount made in the Court of the District Judge under sub-section (2) of section 50 and pending decision or disposal on the first day of August, 1987, shall be dealt with having regard to the provisions of the Land Acquisition Act.

(7) Where in a matter pending on the first day of August, 1987, the amount of compensation payable under the provisions of this Act, as it stood before the first day of August, 1987, is higher than that payable under the Land Acquisition Act, the owner of the land and the persons interested therein shall be entitled to claim the higher amount.".

3. *Validation.*—Notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order or finding of any Court, Tribunal or authority to the contrary, any action, thing or order, taken, done or made under and in accordance with the provisions relating to acquisition of land contained in the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act 25 of 1982) shall be deemed to be valid and effective as if such action, thing or order has been made, taken or done under the said Act as amended by this Act.

जे. पी. बंसल,
Secretary to the Government.

Government Central Press Jaipur

राजस्थान राज-पत्र	Regd. No. RJ. 2777/93 RAJASTHAN GAZETTE
विशेषांक	*Extraordinary*
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

वैशाख 2, शनिवार, शाके 1917—अप्रेल 22, 1995

Vaisakha 2, *Saturday, Saka* 1917—*April* 22, 1995

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम ।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

शुद्धि-पत्र

जयपुर, अप्रेल 22, 1995

संख्या प. 2 (26) विधायी/2/90.– राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (क), दिनांक 3 अप्रेल, 1995 में प्रकाशित अधिसूचना सं. प. 2 (26) विधायी/2/90, दिनांक 3 अप्रेल, 1995 को निम्नलिखित शुद्धियां करते हुए पढ़ा जाये :—

संदर्भ	मुद्रित अशुद्ध अभिव्यक्ति	सही अभिव्यक्ति
1	2	3
अधिनियम का नाम (पृ.सं. 1)	अधिनियम, 1995	अधिनियम, 1990
अधिनियम का नाम (पृ.सं. 1)	संख्या	सं.
पांचवी पंक्ति (पृ.सं. 1)	अधिनियय	अधिनियम
अंतिम पंक्ति (पृ.सं. 1)	कर्रवाई	कार्रवाई
पांचवी पंक्ति (पृ.सं 2)	मे	में
छठी पंक्ति (पृ.सं. 2)	गवी	गयी
सातवीं पंक्ति (पृ.सं. 2)	आदश	आदेश
दसवीं पंक्ति (पृ.सं.2)	किसी अन्य	किसी भी अन्य
अठारवी पंक्ति (पृ.सं. 2)	गई	गयी
अठारवीं पंक्ति (पृ.सं. 2)	गई	गयी
छब्बीसवीं पंक्ति (पृ.सं. 2)	नही	नहीं
छब्बीसवीं पंक्ति (पृ.सं. 2)	रकम 1अगस्त	रकम, 1अगस्त,
सत्ताईसवीं पंक्ति (पृ.सं. 2)	सदत	संवत्त
अंतिम पंक्ति (पृ.सं. 2)	उसका	उसको
पहली पंक्ति (पृ.सं. 3)	अधीकरण	अधिकरण

1	2	3
पहली पंक्ति (पृ. सं. 3)	गई	गयी
चौथी पंक्ति (पृ. सं. 3)	ऐपे	ऐसे
पांचवीं पंक्ति (पृ. सं. 3)	लिये	लिए
बारहवीं पंक्ति (पृ. सं 3)	.-- –	.–

सूवालाल मिश्रा,
शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

CORRIGENDUM

Jaipur, April 22, 1995

No. F. 2 (26)*Vidhayi*/2/90.—The Notification No. F.2(26)vidhayi/2/90 dated 3rd April, 1995 published in the Rajasthan Gazette, Extra, ordinary, Part 4(A) dated 3rd April, 1995 may be read with the following corrections—

Reference	Printed incorrect Expression	Correct Expression
1	2	3
Title of the Act, Page No. 3	1995	1990
Page No. 3	3	An Act further to amend the Jaipur Development Authority Act, 1982. 3
7th Line Page No. 4	2	2.
10th Line Page No. 4	following;	following,
11th Line Page No. 4	"54–A	"54–A.
22nd Line Page No. 4	refered	referred
22nd Line Prge No. 4	The	the
23rd Line Page No. 4	any.	any
23rd Line Page No. 4	proceeding	proceeding,
26th Line Page No. 4	provision	provisions

1	2	3
28th Line Page No. 4	Payable	payable
29th Line Page No. 4	another	any other
14th Line Page No. 5	determing	determining
15th Line Page No. 5	Agust	August
24th Line Page No. 5	1987	1987,
32nd Line Page No. 5	amount."	amount.".
34th Line Page No. 5	Court Tribunal	Court, Tribunal
35th Line Page No. 5	order taken	order, taken
37th Line Page No. 5	Jaiur	Jaipur

सुवालाल सिंघा,
Secretary to Government.

3

Government Central Press, Jaipur.